मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक बी–4/5/2003/वा.कर–5 भोपाल, दिनांक 2 जुलाई, 2003
प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त,
2. समस्त कलेक्टर,
3. समस्त जिला पंजीयक,
मध्यप्रदेश

विषयः– खनिज पट्टों से संबंधित मुद्रांक प्रकरणों में विधि विरूद्ध आदेश पारित होने पर शासन को राजस्व हानि ।

–––

राज्य शासन को यह जानकारी प्राप्त हुई है कि एक जिले में प्रभारी जिला पंजीयक (कलेक्टर ऑफ स्टाम्प) द्वारा खनिज पट्टों से संबंधित मुद्रांक प्रकरणों में विधि के विरूद्ध आदेश पारित करने के फलस्वरूप शासन को लगभग 5 करोड रूपये के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क की संभावित हानि हुई है । इन प्रकरणों के निराकरण में जो त्रृटियां की गई है, आवश्यक है कि अन्य जिलों में इस प्रकार की त्रुटियां दोहराई न जाए, की गई त्रुटियों का विवरण संक्षेप में निम्नानुसार हैः–

(1) भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 की धारा 26 में स्पष्ट प्रावधान है कि शासन द्वारा जारी खनिज पट्टों की लीज के मामले में शासन द्वारा जारी खनिज पट्टों की लीज के मामले में शासन को भविष्य में प्राप्त होने वाली रायल्टी की राशि का आकलन कलेक्टर द्वारा किया जायेगा । अधिनियम की सारणी क के अनुच्छेद 33 के उप खंड (ए) (iv) के अनुसार 10 वर्ष से 20 वर्ष तक के लीज के लिए अनुमानित वार्षिक रायल्टी के तीन गुना राशि तथा अंश (v) के अनुसार 20 से 30 वर्ष तक के लीज के लिए औसत वार्षिक रायल्टी के पांच गुना राशि पर मुद्रांक शुल्क प्रभार्य है किंतु उक्त जिले के प्रकरण में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा जिला कलेक्टर से भविष्य में प्राप्त हो सकने वाली रायल्टी का आंकलन कराएं बिना केवल ''डेड रेंट'' के आधार पर स्टांप शुल्क अधिरोपित किया गया है, जिससे राजस्व की महती हानि हुई है । क्योंकि डेडरेट तो केवल भूमि का वार्षिक भू–भाटक के समान है, जो उस स्थिति में भी देय है, यदि कोई भी खनिज उत्खनन भी नही किया गा हो। स्पष्ट है कि औसत वार्षिक रायल्टी का आंकलन

किया जाकर सुनिश्चित करना आवश्यक है कि राज्य शासन के राजस्व में कोई हानि नहीं हो ।

(2) विधि में स्पष्ट प्रावधान है कि कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत प्रिसिंपल एवं उनके सहयोगी कंपनी पृथक – पृथक विधिक व्यक्ति होती है । एवं पृथक – पृथक पंजीकृत होती है । अतः इनके मध्य कोई अंतरण का दस्तावेज हस्तांतरण पत्र की श्रेणी में आयेगा । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा मात्र इस आधार पर कि दोनो कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक ही है, कंपनियों के मध्य पट्टों के हस्तांतरण के दस्तावेजों में मात्र नाम परिवर्तन का अनुबंध पत्र मानकर केवल 50 रूपये स्टाम्प शुल्क वसूल किया गया, जबकि ऐसे मामलों में इन्हें पट्टे के अंतरण के दस्तावेज मानकर भूमि के बाजार मूल्य पर स्टाम्प शुल्क अधिरोपण किया जाना चाहिये था । इस प्रकरण में दस्तावेजों में द्वारा कंपनी के नाम परिवर्तन का दस्तावेज मानना इसलिए भी संभव नही था कि नये नाम की कंपनी पूर्व से ही अस्तित्व में थी ।

(3) पट्टे के नवनीकरण के दस्तावेज भी भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 26 के अनुसार गणना की जाना है एवं उनमें भी भारतीय अधिनियम की सारण 1क के अनुच्छेद 33 के अनुसार गणना की जावेगी । इस प्रकार नवीनीकृत खनिज पट्टे को अनुबंध पत्र मानकर केवल 50 रूपये का स्टाम्प शुल्क अधिरोपित किया गया, जो सर्वथा अनुचित है एवं उसके कारण राज्य शासन को करोडों रू. के राजस्व की हानि हुई है । यह भी उल्लेखनीय है कि पट्टे के नवीनीकरण के समय भविष्य में प्राप्त होने वाली अनुमानित रॉयल्टी की गणना के लिए पूर्व वर्षों में प्राप्त रॉयल्टी भी एक आधार बन जाता है ।

यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष शासन की ओर से कोई अधिवक्ता आदि पैरवी नहीं करता है । ऐसे में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का दायित्व और भी बढ जाता है, क्योकि उन्हें स्वयं ही शासन के हितों का संरक्षण करना होता है । उक्त परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश के विरूद्ध राजस्व मंडल में पुनरीक्षण दायर किया गया है । भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इस संबंध में उचित होगा कि, खनिज पट्टे के प्रकरणों में जिला कलेक्टरों द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जायेः–

1– जब भी जिले की खनिज शाखा खनन पट्टों के दस्तावेज जिला कलेक्टर को निष्पादन हेतु प्रस्तुत करें, तो जिला कलेक्टर कृपया व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित कर ले कि इसमें भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 26 के अंतर्गत प्राप्त हो सकने वाली औसत वार्षिक रॉयल्टी की सही–सही गणना की गई है । यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी स्थिति में शासन को स्टाम्प

शुल्क एवं पंजीयन फीस के रूप में मिलने वाले राजस्व की हानि न हो, क्योंकि उक्त राजस्व इसी गणना पर आधारित रहता है ।

2— वर्तमान व्यवस्था के अनुसार प्रति माह जिला पंजीयक (कलेक्टर ऑफ स्टाम्प) द्वारा निराकृत प्रकरणों को जिला कलेक्टर के परीक्षण एवं आवश्यकता पडने पर अपील/निगरानी की कार्यवाही हेतु भेजे जाते हैं । कृपया इन समस्त प्रकरणों का जिला कलेक्टर सूक्ष्मता से परीक्षण सुनिश्चित करें । यदि जिला पंजीयक (कलेक्टर ऑफ स्टाम्प) के आदेश से शासन के राजस्व की हानि कारित हुई है, इसमें तत्काल पुनरीक्षण या अपील जैसी भी स्थिति हो, की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा अनियमितता की जानकारी महानिरीक्षक पंजीयन तथा मध्य प्रदेश शासन के ध्यान में लायें ।

हस्ता
(जगदीश शर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग

पृष्ठांकन कमांक बी—4—5/03/वा.कर/5 भोपाल, दनांक/2/7/2003
प्रतिलिपिः—

महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक म.प्र. भोपाल। कृपया समस्त उप पंजीयक कार्यालयों को उक्त ज्ञापन भेजने के लिये अग्रेषित ।

हस्ता
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग